

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार

सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण /

सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण /

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी,

पश्चिमी चम्पारण / पूर्वी चम्पारण / सीतामढ़ी /

शिवहर / गोपालगंज / सिवान / सारण / मुजफ्फरपुर / वैशाली

पटना, दिनांक-..... /

विषय :- माननीय मुख्यमंत्री की जिलावार 'समृद्धि यात्रा' कार्यक्रम के संबंध में।

प्रसंग :- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-96 दिनांक-12.01.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री की जिलावार 'समृद्धि यात्रा' कार्यक्रम का प्रथम चरण का कार्यक्रम दिनांक-16.01.2026 से दिनांक-24.01.2026 तक जिलावार निर्धारित है।

निदेशानुसार माननीय मुख्यमंत्री की 'समृद्धि यात्रा' के प्रथम चरण के कार्यक्रम के अनुसार आपके जिला के लिए निर्धारित तिथि के अनुसार उक्त कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं:-

1. जिलान्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की पूर्व से समीक्षा कर ली जाय।
2. 'समृद्धि यात्रा' से संबंधित अपने जिला के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ससमय सभी आवश्यक तैयारी/व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं के स्थल निरीक्षण/परियोजनाओं का शिलान्यास/उद्घाटन/कार्यारंभ के समय उपस्थित रहना सुनिश्चित किया जाय।
3. जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थल पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, से संबंधित स्टॉल/जन संवाद आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
4. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं के निरीक्षण/समीक्षा आदि की पूर्व सूचना विभाग को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि स्थल पर व्यवस्था/स्टॉल आदि हेतु आवंटन की आवश्यकता हो तो यथाशीघ्र अध्याचना भेजी जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

क०पृ०उ०

ज्ञापांक :- अ०सं०क०-01-04/2025.....**206**...../

पटना, दिनांक-**13.01.2026**

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लि०, पटना/सदस्य सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य शिया/सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य हज समिति, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी विभागीय प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आईटी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

संज्ञ-13.1.26

सरकार के संयुक्त सचिव